प्राक्कथन

मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्त्तें) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत बिहार के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में राज्य के संबंधित विभागों सहित पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों के लेखापरीक्षा के महत्त्वपूर्ण परिणाम सम्मिलित हैं।

प्रतिवेदन में वर्ष 2015–16 के दौरान लेखाओं के नमूना लेखापरीक्षा में पाए गए दृष्टांतों के साथ–साथ, जहाँ कहीं आवश्यक है, वैसे मामलों को भी उल्लेखित किया गया है जो पूर्ववर्ती वर्षों में पाए गए, परंतु पूर्व के प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किए जा सके थे।

लेखापरीक्षा का संचालन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप किया गया है।